

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

डीबी सिविल विशेष अपील (रिट) संख्या 250/2024

में

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 2797/2024

राजेंद्र गुप्ता पुत्र चांदमल गुप्ता, उम्र लगभग 67 वर्ष, निवासी 91, गुरु जंबेश्वर
नगर-बी, गांधी पथ, वैशाली नगर, जयपुर (राज.)

-----अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता

बनाम

- राजस्थान राज्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवास
विभाग, सचिवालय, जयपुर-302005 के माध्यम से
- निदेशक, स्थानीय स्वशासन, सिविल लाइंस फाटक के पास, जयपुर
(राजस्थान)
- नगर परिषद, बूंदी, आयुक्त के माध्यम से, के.एन. सिंह सर्किल के
पास, बूंदी

-----प्रतिवादी

अपीलकर्ता(ओं) के लिए : श्री अभिषेक भारद्वाज एडवोकेट,
श्री नमन यादव एडवोकेट,
श्री पीयूष शर्मा एडवोकेट और
श्री शांतनु शर्मा एडवोकेट।

माननीय मुख्य न्यायाधीश श्रीमान. मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

माननीय श्रीमान. जस्टिस भुवन गोयल

निर्णय

प्रकाशनीय

09/04/2024

1. प्रवेश पर सुनवाई।
2. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने विलंब और लापरवाही के आधार पर रिट याचिका खारिज करके स्पष्ट रूप से अवैधानिकता की है, इस तथ्य पर विचार किए बिना कि अपीलकर्ता का मामला 1995 से ही प्रतिवादियों के पास विचाराधीन था और यहाँ तक कि वर्ष 2010 में भी अपीलकर्ता को प्लॉट खाली करने का पत्र दिया गया था, और वर्ष 2013-14 में उसे सूचित किया गया कि उसका मामला लंबित है। इसके बाद, अपीलकर्ता द्वारा बार-बार अनुरोध किया गया, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो अपीलकर्ता को रिट याचिका दायर करनी पड़ी।
3. वर्तमान मामला देरी और लापरवाही का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह विवाद में नहीं है कि नीलामी वर्ष 1972 में हुई थी और अपीलकर्ता के अनुसार भी, 1974 में उन्होंने बोली राशि का केवल एक हिस्सा जमा किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग 20 वर्षों के बाद, स्थानीय निकाय के एक अधिकारी ने पुराने मामले में 21.08.1995 को राजस्थान के स्थानीय स्वायत्त शासन निदेशक को एक पत्र लिखा । अपीलकर्ता ने उस स्तर पर भी

कुछ नहीं किया और मामले को लेकर सोता रहा। 26.07.2010 को अपीलकर्ता को भूखंड खाली करने के लिए एक पत्र लिखा गया। उन्होंने फिर कोई उपाय नहीं किया। ऐसा प्रतीत होता है कि स्थानीय निकाय के एक अधिकारी ने 2013 में एक संचार भेजा था कि अपीलकर्ता का मामला लंबित है और उसके बाद अगले वर्ष स्थानीय स्वायत्त शासन निदेशक का एक और पत्र आया।

4. समय बीतने के साथ, 1972 से 2024 तक, अपीलकर्ता के पक्ष में कोई अधिकार, यदि कोई था भी, समाप्त हो गया। बार-बार किए गए अभ्यावेदनों को, जब कोई अधिकार विद्यमान ही न हो, अभ्यावेदनों पर निर्णय हेतु निर्देश प्राप्त करने हेतु न्यायालय में जाने का आधार नहीं बनाया जा सकता। विद्वान एकल न्यायाधीश ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अनेक निर्णयों का हवाला देते हुए यह माना है कि रिट याचिका विलंब और लापरवाही के कारण लंबित थी। बार-बार किए गए अभ्यावेदनों का उत्तर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सी. जैकब बनाम भूविज्ञान एवं खनन निदेशक एवं अन्य (2008) 10 एससीसी 115 के मामले में दिए गए निर्णय में निहित है, जिसमें यह निर्णय दिया गया था:

“ 9. न्यायालय/न्यायाधिकरण इस धारणा पर आगे बढ़ते हैं कि प्रत्येक नागरिक अपने अभ्यावेदन का उत्तर पाने का हकदार है। दूसरे, वे यह मान लेते हैं कि अभ्यावेदन पर विचार करने और उसका निपटारा करने का निर्देश मात्र पक्षों के अधिकारों और

दायित्वों पर कोई "निर्णय" नहीं लेता। उन्हें इस तरह के "विचार" करने के निर्देश के परिणामों का ज़रा भी एहसास नहीं होता। यदि अभ्यावेदन पर विचार किया जाता है और उसे स्वीकार कर लिया जाता है, तो पूर्व कर्मचारी को राहत मिलती है, जो उसे "विचार" करने के निर्देश के कारण हुई लंबी देरी के कारण नहीं मिलती। यदि अभ्यावेदन पर विचार किया जाता है और उसे अस्वीकार कर दिया जाता है, तो पूर्व कर्मचारी 1982 के मूल वाद हेतुक के संदर्भ में नहीं, बल्कि 2000 में दिए गए अभ्यावेदन की अस्वीकृति को वाद हेतुक मानकर एक आवेदन/रिट याचिका दायर करता है। अभ्यावेदन की अस्वीकृति को रद्द करने और अभ्यावेदन में दावा की गई राहत प्रदान करने के लिए प्रार्थना की जाती है। न्यायाधिकरण/उच्च न्यायालय नियमित रूप से ऐसे आवेदनों/याचिकाओं पर विचार करते हैं, अभ्यावेदन से पहले हुई भारी देरी की अनदेखी करते हुए, और दावे की गुण-दोष के आधार पर जाँच करके राहत प्रदान करते हैं। इस प्रकार, सीमा की सीमा या लापरवाही समाप्त हो जाती है या उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है।

10. राहत के लिए सरकार को प्रस्तुत प्रत्येक अभ्यावेदन का उत्तर गुण-दोष के आधार पर नहीं दिया जा सकता। ऐसे मामलों से संबंधित अभ्यावेदन जो पुराने हो गए हैं या समय-सीमा के कारण वर्जित हैं, दावे के गुण-दोष की जाँच किए बिना, केवल इसी आधार पर खारिज किए जा सकते हैं। विभाग से असंबंधित अभ्यावेदनों के संबंध में, उत्तर केवल यह सूचित करने के लिए हो सकता है कि मामला विभाग से संबंधित नहीं है या संबंधित विभाग को सूचित करने के लिए हो सकता है। अपूर्ण विवरण

वाले अभ्यावेदनों का उत्तर प्रासंगिक विवरण मांगकर दिया जा सकता है। ऐसे अभ्यावेदनों के उत्तर, वाद का नया हेतुक प्रस्तुत नहीं कर सकते या किसी पुराने या मृत दावे को पुनर्जीवित नहीं कर सकते।

11. जब किसी न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा किसी अभ्यावेदन पर विचार करने या उससे निपटने का निर्देश जारी किया जाता है, तो आमतौर पर निर्देशित व्यक्ति (निर्देशित व्यक्ति) मामले की गुण-दोष के आधार पर जाँच करता है, क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा न करना अवज्ञा के समान होगा। जब न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्देश के अनुपालन में दावे या अभ्यावेदन पर विचार करके उसे अस्वीकार करने का आदेश पारित किया जाता है, तो ऐसा आदेश पुराने दावे को पुनर्जीवित नहीं करता, न ही किसी प्रकार के " न्यायिक संबंध की स्वीकृति" के रूप में कार्य हेतु नए कारण को जन्म देता है।

12. जब कोई सरकारी कर्मचारी वैकल्पिक रोजगार लेने या निजी कामों के लिए नौकरी छोड़ देता है, और छुट्टी मांगने, त्यागपत्र या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का पत्र भेजने की ज़हमत नहीं उठाता, और रिकॉर्ड में यह नहीं दर्शाया गया है कि उसे सेवा में माना गया है, तो वह दो दशक बाद यह दावा नहीं कर सकता कि उसे वापस इयूटी पर लिया जाए। न ही ऐसे कर्मचारी को सेवा में बने रहने वाला माना जा सकता है, जिससे उसकी पूरी अवधि पेंशन के लिए अर्हक सेवा मानी जा सके। यह न्याय का उपहास होगा।

13. जहां कोई कर्मचारी अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है और 20 साल बाद अचानक उपस्थित होता है और मांग करता

है कि उसे वापस लिया जाए और वह अदालत का दरवाजा खटखटाता है, स्वाभाविक रूप से विभाग के पास उस समय के अंतराल में कर्मचारी से संबंधित कोई रिकॉर्ड नहीं होगा या हो भी सकता है। ऐसे मामलों में, जब नियोक्ता जांच के रिकॉर्ड और बर्खास्तगी/निष्कासन के आदेश को प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो अदालत रिकॉर्ड प्रस्तुत न करने के लिए नियोक्ता के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाल सकती है, न ही कर्मचारी की सेवा समाप्ति या आकर्षक वैकल्पिक रोजगार को नजरअंदाज करते हुए 20 साल के लिए पिछले वेतन के साथ बहाल करने का निर्देश दे सकती है। ऐसे मामलों में गलत सहानुभूति अनुशासनहीनता को बढ़ावा देगी, दोषी कर्मचारी को अनुचित रूप से समृद्ध करेगी और सरकारी खजाने की निकासी होगी। कई बार पिछले वेतन के लिए एक नियमित आदेश के परिणामस्वरूप वित्तीय बोझ की सीमा के बारे में भी दिमाग का कोई प्रयोग नहीं किया जाता है।

14. हम इस मुद्दे के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख केवल इस बात पर जोर देने के लिए बाध्य हैं कि "विचार" के लिए निर्देश जारी करते समय सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता है। यदि प्रस्तुत प्रस्तुति पुरानी है, या उसमें ऐसे विवरण नहीं हैं जो यह दर्शाते हों कि वह किसी जीवंत दावे के संबंध में है, तो न्यायालयों को ऐसे दावों पर "विचार" करने का निर्देश देने से बचना चाहिए।

5. उपरोक्त के मद्देनजर, हमारा मानना है कि अपीलकर्ता ने रिट याचिका दायर करके एक ऐसे अधिकार के संबंध में पुराना मामला उठाने की कोशिश की है जो रिट याचिका दायर करने की तिथि पर अस्तित्व में नहीं था।

6. तदनुसार, अपील खारिज की जाती है।

(भुवन गोयल) ,जे

(मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव), सी.जे.

मनोज नरवानी /9

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी